सचिन तेंदुलकर रोड का निर्माण कार्य इसी माह शुरू होगा, कार्यादेश जारी

राहत ● लंबे समय से बदहाल है सड़क, जलजमाव से निपटने के भी होंगे इंतजाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: लंबे समय से बदहाल हालत में पड़ी सचिन तेंदुलकर रोड का निर्माण कार्य इसी माह शुरू कर दिया जाएगा। तमाम बाधाओं व तकनीकी दिक्कतों के निराकरण के बाद स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन ने इस सड़क के निर्माण का कार्यादेश जारी कर दिया है। इस कार्य के लिए कुल सात कंपनियों ने टेंडर प्रक्रिया में भाग लिया था। इनमें से तोमर बिल्डर्स कंपनी को ठेका मिल गया है। अब कंपनी इसी माह से काम शुरू कर देगी। इस रोड के निर्माण के दौरान जलजमाव से निपटने के भी इंतजाम किए जाएंगे।

गौरतलब है कि गत वर्ष हुई अतिवर्षा के कारण सचिन तेंदुलकर रोड की हालत काफी खराब हो गई है। जलजमाव होने के कारण सड़क पर जगह-जगह डामर उखड़ गया है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति ईओडब्ल्यू कार्यालय के आसपास है, जहां सड़क से गिट्टी तक उखड़ आई हैं। इसके चलते वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस रोड पर दिनभर वाहनों की आवाजाही के कारण धूल उड़ती रहती है। ऐसे में नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन के नौ करोड़ रुपये के बजट से इस सड़क के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव तैयार कराया था। हालांकि बीच में सांसद भारत सिंह कुशवाह ने सड़क का निरीक्षण कर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के माध्यम से रोड तैयार करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन ने ही टेंडर प्रक्रिया की, जिसमें 20 प्रतिशत बिलो पर तोमर बिल्डर्स कंपनी को ठेका दिया गया है।

सभापति के निर्देश, जल्द कराएं मोतीमहल में सड़क निर्माण

नप्र, ग्वालियर: मोतीमहल में नगर निगम संग्रहालय की जमीन पर छह मीटर चौड़ी रोड का निर्माण जल्द कराने के लिए सभापति मनोज सिंह तोमर ने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सभापति ने निगम के इंजीनियरों से कहा है कि जल्द ही टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर निर्माण कार्य शुरू कराया जा सके, ताकि यहां वाहन चालकों को असुविधा का सामना न करना पड़े, साथ ही हादसे की संभावना भी समाप्त हो जाए। पिछले दिनों सभापति ने निगमायुक्त संघ प्रिय और नोडल अधिकारी पीआइयू पवन सिंघल को भी जल्द टेंडर लगाने के लिए कहा था। गौरतलब है कि मोतीमहल स्थित जमुना बाग नर्सरी की जमीन पर नया परिषद भवन बन रहा है। यहां संग्रहालय की बाउंड्रीवाल के बगल से सड़क संकरी है और यहां दोनों दिशाओं से वाहनों का आवागमन होता है। घुमावदार सड़क होने के कारण यहां ब्लैक स्पाट निर्मित होता है। दो माह पूर्व सभापति मनोज सिंह तोमर ने परिषद भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने निगमायुक्त को निर्देश दिए थे कि संग्रहालय की जमीन पर यदि नई सड़क का निर्माण कर दिया जाए, तो ट्रैफिक के संचालन में सुगमता होगी। इसके बाद निगम अधिकारियों ने नई रोड बनाने का प्रस्ताव तैयार किया था। इसकी टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सभापति ने निर्देश दिए हैं कि जल्द ही ये प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाए।

संग्रहालय की तरफ तैयार की जानी है नई रोड

मोती महल जाने वाला ये मार्ग संग्रहालय की ओर से चौड़ा किया जाएगा ● फाइल फोटो

खा-पीकर चल दिए अफसर

सुनो नगर सरकार

प्रियंक शर्मा

गत बुधवार को नीडम पुल के पास वाले सरकारी कार्यालय में एक अजब नजारा देखने को मिला। इस कार्यालय में अंचलभर के सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया गया था। चूंकि बड़े साहब का बुलावा था, ऐसे में सभी लोग सिर पर पैर रखकर ग्वालियर आ गए। कार्यालय में बैठक चालू होने के इंतजार में बैठे रहे। उन्हें लगा कि बड़े साहब कार्यों की समीक्षा करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से संदेश आया कि बैठक जेडी लेंगे। काफी इंतजार करने के बाद जेडी का भी अता-पता नहीं चला। पूछताछ करने पर पता चला कि जेडी साहब तो कोर्ट में मौलिक निधि के मामले में चल रही सुनवाई में पेश होने के लिए गए हैं। ऐसे में सभी अधिकारी इंतजार करते रहे। इसी बीच चाय-नाश्ता भी लग गया। काफी समय बाद जेडी साहब कार्यालय में पहुंचे और मीटिंग की खानापूर्ति हो सकी। हालांकि इस दौरान बड़े साहब ने मामले में कोई दखल नहीं दिया।

यह कामना, जल्दी स्वस्थ हो जाएं साहब

अति सर्वत्र वर्जयेत यानी किसी चीज की अति हानिकारक होती है। लाल बिल्डिंग वाले एसपी साहब के मामले में ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। साहब लंबे समय से बिना छुट्टी काम में लगे हुए थे। वे स्वयं भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने ग्वालियर में अपने कार्यकाल के दौरान गिनी-चुनी छुट्टियां ही ली हैं। हालांकि शनिवार को भी कार्यालयीन अवकाश रहता है, लेकिन वे इस दिन भी बैठक, रिव्यू या फिर फाइलों को निपटाने में लगे रहते थे। चूंकि ग्वालियर में वीआइपी आगमन भी बहुत होता है, ऐसे में कई रविवार भी प्रोटोकाल में कुर्बान हो गए। इसका असर शायद साहब के स्वास्थ्य पर आया है। पर्याप्त आराम न मिलने के कारण अब साहब की सेहत थोड़ी गड़बड़ हो गई है। ऐसे में छोटे साहब फिलहाल कमान संभाले हुए हैं। बिल्डिंग में सभी यही चर्चा कर रहे हैं कि साहब को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले और वे कार्यालय आना शुरू करें।

काम भी तो मैं ही करती हूं

लाल बिल्डिंग में संविदा पर काम कर रहे पंडितजी की विदाई हो गई है। अपने मत पर कायम एसपी साहब ने अपने कार्यकाल में किसी की संविदा अवधि बढ़ाने या किसी को संविदा पर रखने की कोई सिफारिश नहीं की है। ऐसे में पंडितजी की वापसी की संभावनाएं कम हैं। कार्यकाल खत्म होने के बाद बारी आई पंडितजी की जिम्मेदारियों को बांटने की। इसके लिए एक सीनियर इंजीनियर को बुलाकर एसपी साहब ने चार्ज देने की बात कही। उन्हें सिर्फ लाइनों के संधारण का चार्ज दिया जा रहा था, लेकिन प्रोजेक्टों से जुड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही थी। ऐसे में इंजीनियर साहब ने धीरे से कहा कि प्रोजेक्ट से भी उन्हें नवाज दिया जाए। इस पर वहां मौजूद एक महिला इंजीनियर ने तत्काल आपत्ति जताई। हल्की-फुल्की नोकझोंक के बाद महिला इंजीनियर ने साफ दावा पेश कर दिया कि प्रोजेक्ट तो मेरे पास ही रखे जाएं, क्योंकि काम भी तो मैं ही करती हूं।

क्या सबकी छिनेगी मौलिक निधि?

लाल बिल्डिंग के ट्रस्टियों के कार्यकाल का इस बार आखिरी बजट है, क्योंकि अगले साल बजट पेश तो होगा लेकिन मौलिक निधि का इस्तेमाल नाममात्र हो पाएगा। फिलहाल शासन से आए एक पत्र के चलते अब मौलिक निधि को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। हालांकि पत्र में सिर्फ मैडम की निधि का उल्लेख है, लेकिन इससे मैडम को मजबूत पाइंट मिल गया है। इसका कारण है कि मौलिक निधि लाल बिल्डिंग के अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा भी उपयोग की जाती है। इसको लेकर मैडम कोर्ट चली गई हैं। इसमें उन्होंने अन्य जनप्रतिनिधियों को भी शामिल कर लिया है। इससे हाल-फिलहाल निधि से संबंधित कार्यों पर तो रोक जैसी स्थिति बन गई है। अब देखना ये है कि मैडम को राहत मिलती है या फिर सभी की निधि छिन जाएगी। हालांकि संभावना राहत की अधिक है, क्योंकि ये वर्षों से चली आ रही परंपरा है लेकिन हाल- फिलहाल कार्यकाल के आखिरी कुछ महीनों में सिरदर्दी पैदा हो गई है।

चेतकपुरी चौराहे पर फूटी लाइन, कालोनी में भर गया पानी

ट्रैफिक सिग्नल की केबल कटने की आशंका पर पुलिस ने मशीन जब्त कर बंद कराया काम, 15 मिनट बाद छोड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: चेतकपुरी चौराहा पर पानी की फूटी लाइन को सुधारने के लिए गड्ढा खोद रही बैकहो लोडर मशीन को पुलिस ने जब्त कर लिया। चौराहे पर लगे सिग्नल को संचालित करने के लिए बिछाई गई केबल कटने की संभावना के चलते पुलिस ने काम बंद कराया था। हालांकि वस्तुस्थिति पता चलने पर 15 मिनट बाद ही उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद पानी की लाइन की मरम्मत की गई। लाइन फूटने के कारण गुरुवार को चेतकपुरी कालोनी की सड़कों पर पानी भर गया, जिसके कारण लोगों को खासी असुविधा का सामना करना पड़ा।

चेतकपुरी गेट पर पानी की लाइन फूटने के बाद संधारण कार्य शुरू, इस बीच सड़क पर भरे पानी के बीच से निकलते वाहन ● नईदुनिया

चेतकपुरी चौराहा की मुख्य सड़क के दोनों तरफ दुकानें एवं मकान बने हुए हैं। यहां पानी पहुंचाने के लिए छह इंच की प्रेशर लाइन डली हुई है। यह 50 साल पुरानी है और इसी लाइन से पानी की आपूर्ति होती है। दो दिन पहले ये लाइन फूट गई थी। इस पाइपलाइन के संधारण कार्य के लिए पीएचई ने ट्रैफिक सेल से अनुमति मांगी थी और अनुमति मिलने के बाद बुधवार को काम शुरू किया गया था, लेकिन झांसी रोड थाने की पुलिस ने काम बंद कराकर बैकहो लोडर मशीन जब्त कर ली। हालांकि 15 मिनट बाद उसे छोड़ दिया था। गुरुवार को भी मौके पर काम कराया गया। इस दौरान लाइन से सैकड़ों लीटर पानी बहकर कालोनी की सड़क पर भर गया।

समय पर फीस जमा करें नहीं तो नोटिस में होगी देरी: हाई कोर्ट

नप्र, ग्वालियर: ग्वालियर स्थित मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने 18 मार्च को सूचीबद्ध प्रकरण 701 से 718 तक के मामलों में एक समान आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में अभी तक प्रोसेस फीस जमा नहीं की गई है, संबंधित पक्षकार एक सप्ताह के भीतर फीस जमा करें ताकि नोटिस जारी किया जा सके।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि फीस जमा होने के बाद कार्यालय संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी करेगा। आवेदक या अपीलकर्ता को भी अपने वकील के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से, स्पीड पोस्ट, ईमेल या फैक्स से नोटिस भेजकर छह सप्ताह के भीतर सेवा का शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा। जिन मामलों में अभी तक प्रतिवादियों को नोटिस नहीं मिला है, उनमें भी छह सप्ताह के अंदर नोटिस देने की जिम्मेदारी संबंधित पक्षकारों की होगी। यदि कार्यालय की कोई आपत्ति लंबित है, तो उसे चार सप्ताह में दूर करना अनिवार्य है।

जाति प्रमाण-पत्र को लेकर आबकारी अपर आयुक्त पर उठे सवाल

- अफसर बोले-1991 के रिकार्ड में शामिल, शिकायतें निराधार
- आबकारी मुख्यालय में पदस्थ हैं अपर आयुक्त राजेश हेनरी

नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर: मप्र के आबकारी विभाग में पदस्थ अपर आयुक्त राजेश हेनरी इन दिनों चर्चा में हैं। चर्चा का कारण है उनका जाति प्रमाण पत्र, जिसको लेकर यह आरोप है कि फर्जी जाति प्रमाणपत्र बनवाकर नौकरी पाई गई है और पिछले लगभग 35 वर्षों से आबकारी विभाग में सेवा कर रहे हैं। इस मामले में भोपाल के एक आरटीआइ कार्यकर्ता ने पहले शिकायत की जिसके बाद इंदौर से शिकायत हुई। अपर आयुक्त हेनरी ने बताया कि शिकायत करने वाले ने बिलासपुर में रिकार्ड में जो हिंदी अंकों में 1133 क्रमांक पर जाति प्रमाण पत्र दर्ज था उसे 9988 बताया।

बिलासपुर प्रशासन से रिपोर्ट भी दी गई है कि 22 फरवरी 1991 को जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। बता दें कि अपर आयुक्त राजेश हेनरी ग्वालियर स्थित आबकारी मुख्यालय में पदस्थ हैं।

इस संबंध में अपर आयुक्त राजेश हेनरी ने बताया कि शिकायत जाति प्रमाण पत्र को लेकर की गई थी जिसको लेकर पूर्व में तत्कालीन आबकारी आयुक्त को जवाब भी पेश कर दिया गया था। अनुसूचित जाति आयोग के संज्ञान का पत्र मुझे भी इंटरनेट मीडिया से पता चला। शिकायतें निराधार हैं।

जिस फिटनेस सेंटर का पकड़ा गया था घोटाला, वही बिना निगरानी किया चालू

रायरू पर खुला हुआ वेदांती फिटनेस सेंटर ● फाइल फोटो

नप्र, ग्वालियर: अवैध वसूली का आरोप और एक ही चेसिस नंबर से कई वाहनों की फिटनेस करने वाले पुरानी छावनी स्थित वेदांती फिटनेस सेंटर को दोबारा चालू कर दिया गया है। जांच के बाद निलंबित कर दिया गया। वाहनों की फिटनेस का मामला सुरक्षा से भी जुड़ा होता है इसी कारण फिटनेस सेंटरों पर पारदर्शिता से काम हो,यह सबसे ज्यादा जरूरी है। अब परिवहन विभाग इस पूरे मामले में कटघरे में आ गया है।

बता दें कि मध्य प्रदेश में जिस तरह चेकपोस्टों पर अवैध वसूली के कारण पूरे परिवहन विभाग की छवि खराब हुई थी, अब आटोमेटेड फिटनेस सेंटरों में भी ऐसी ही शिकायतें आने लगी हैं। विभिन्न जिलों में फिटनेस सेंटरों पर वसूली के मामले लगातार सामने आए हैं। कई मामलों में तो परिवहन विभाग को इन्हें अस्थायी रूप से निलंबित करना पड़ा। पहले फिटनेस जांच क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों पर होती थी तब भी वसूली की शिकायतें मिलती थीं। अब निजी हाथों में व्यवस्था देने के बाद भी यही हाल है।

यह हुआ था मामला: वेदांती फिटनेस सेंटर पर रिश्वत मांगे जाने का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें ट्रक की फिटनेस के बदले 3000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी। परिवहन विभाग ने इस पर जांच शुरू की तो कई त्रुटियां सामने आईं। एक ही चेसिस नंबर पर छह गाड़ियों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी होने का मामला भी पकड़ा गया। परिवहन विभाग ने जांच रिपोर्ट मुख्यालय में सौंपी जिसके बाद कार्रवाई हुई थी।

> ग्वालियर के वेदांती फिटनेस सेंटर का निलंबन खत्म हो गया है, यह सेंटर अब खुल गया है। यहां शिकायत के आधार पर जांच हुई थी और रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई हुई थी।
> – **किरण शर्मा,** उपायुक्त, परिवहन विभाग,मप्र।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

ई-नीलामी विक्रय सूचना

ब्रांच: जयेन्द्रगंज, निशा प्लाजा, आचरण प्रेस के पास, जिंसी रोड, ग्वालियर-474009 (म.प्र.) फोन: 72477-16428, 81695-56638 Email : vjgwal@bankofbaroda.com

परिशिष्ठ चतुर्थ – ए (नियम 9 (1) एवं 8 (6) देखें)

अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 (1) एवं 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस। आम लोंगो को तथा विशेष रुप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है का प्रलक्षित/वास्तविक कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जाता है। को जहां है, जैसा है, और जो कुछ भी है, के आधार पर निम्नलिखित कर्जदार और प्रत्याभूति-दाता से प्रतिभूत लेनदार की निम्नदर्शित रुपये की बकाया राशि की बसूली हेतु निम्नलिखित दिनांक व समय पर बेचा जायेगा। कर्जदारों/जमानतदारों /बंधक संपत्तियों/बकाया राशि/नीलामी तिथी व समय/आरक्षित मूल्य/अग्रिम धनराशि/बोली बढाने की राशि नीचे दर्शायी गईहै।

कर्जदार/जमानदार/बंधककर्ता का नाम व पता	ज्ञात ऋण-भार के साथ अचल संपत्ति का विवरण, यदि कोई हो	आरक्षित मूल्य / अग्रिमधनराशि / बोली बढाने की राशि	नीलामी की तारीख एवं समय	मांग सूचना दिनांक / आधिपत्य दिनांक / बकाया राशि
ऋणी: 1. श्री अभिषेक सिंह चौहान पुत्र नरेन्द्र सिंह चौहान **ऋणी: 2. रीना चौहान पत्नि अभिषेक सिंह चौहान** पता: 1. ए-5, आदित्यनगर, सी.पी. कॉलोनी, मुरार, ग्वालियर एम.पी.-474006 पता: 2. फ्लैट नंबर 406, चौथी मंजिल, ओम सांई अपार्टमेंट, रजनीगंधा कॉलोनी गोले का मंदिर, ग्वालियर-474005	**संपति के स्वामी – श्री अभिषेक चौहान पुत्र श्री नरेंद्र सिंह चौहान, श्रीमती रीना चौहान पत्नी श्री अभिषेक चौहान** – फ्लैट संख्या एफ-406, चौथी मंज़िल, ओम सांई अपार्टमेंट, रजनीगंधा कॉलोनी, गोले का मंदिर, ग्वालियर के फ्लैट का साम्यिक बंधक। क्षेत्रफल 571 वर्गफुट। **चतुर-सीमाएँ: उत्तर:** फ्लैट संख्या 405, **दक्षिण:** फ्लैट संख्या 407, **पूर्व:** नगर निगम सड़क, **पश्चिम:** खुला स्थान।	₹ 15,47,000/- / 1,54,700/- / 10,000/- सांकेतिक कब्जा	24-04-2026 Time : 2:00 PM to 6:00 PM	03-11-2025 / 21-01-2026 / ₹ 6,89,037.39/- +ब्याज एवं अन्य खर्चे

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm or e-bikray.com में दिये गये लिंक को देखें। संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं मोबाईल नं. 72477-16428, 81695-56638

स्थान: ग्वालियर | दिनांक: 19/03/2026 | प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ बड़ौदा

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा
अरेरा हिल्स, भोपाल,फोन नं. 0755-2550020

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु **ई-नीलामी विक्रय नोटिस**

आम लोगों को और विशेष रुप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूतिदाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित/वास्तविक कब्जा/सांकेतिक कब्जा (इनमें से जो भी लागू होता हो) प्रतिभूत लेनदार के द्वारा लिया गया है, को ''जहां है जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्नलिखित ऋणियों एव जमानतदारों से बैंक/प्रतिभूत लेनदार की निम्नलिखित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु निम्न दिनांक को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम धनराशि निम्नलिखित है:–

ई नीलामी दिनांक : 28.04.2026 (ई-नीलामी का समय : प्रात: 11.00 बजे से दोपहर 5.00 बजे तक प्रत्येक 10 मिनिट के असिमित विस्तार के साथ)
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 27.04.2026 रात्रि 11.00 बजे तक

ऋणी/बंधनकर्ता का नाम एवं बंधक संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि	मांग नोटिस दि. / कब्जा दिनांक / बकाया राशि
निविदाकार अपने प्रस्ताव रु. 25000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र) के गुणांक में बढ़ा सकेंगे। आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा | प्राधिकृत अधिकारी : श्री राजेश गुप्ता / श्री बिनीत कुमार | मो. नं. 9589076580/9557822211		
माँ शीतला इंटरप्राइजेज (प्रो. श्रीमती मंजेशगुर्जर पत्नी श्री रवीन्द्र सिंह गुर्जर) (सांकेतिक आधिपत्य) अचल संपत्तियों का समतुल्य बंधक: एम.एच. नं. 989, भूमि सर्वेक्षण नं. 357/2/3/13 का भाग, नगर निगम वार्डनं. 11, पटवारी हल्का नं. 58, सूर्य नगर, ग्राम बुजुर्ग, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल : 1400 वर्ग फुट/ 130.23 वर्ग मीटर। संपत्ति मालिक : श्रीमती मंजेश गुर्जर पत्नी श्री रविंद्र सिंह गुर्जर। सीमाऐं : पूर्व- कॉमन रोड, पश्चिम- दिगर की संपत्ति, उत्तर-विक्रेता (सीमा सिंह गुर्जर) की संपत्ति, दक्षिण- अनिल परसोलवाल का मकान।	(₹) 76,00,000/- / (₹) 7,60,000/-	29-11-2025 / 07-03-2026 / ₹ 9844392.22 + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे

नियम एवं शर्ते :– 1. विक्रय सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम व शर्तों के आधीन होगा तथा निम्नलिखित शर्तो का पालन करना होगा। 2. सम्पत्तियों की बिक्री ''जहां है जैसा है एवं जिस अवस्था में है'' के आधार पर होगी। 3. ऊपर वर्णित सम्पत्तियों का विवरण प्रतिभूत लेनदार को प्राप्त जानकारी के आधार पर है। किन्तु प्रतिभूत लेनदार किसी भी त्रुटि, गलत जानकारी, घोषणा में चूक लिये जिम्मेदार नहीं होगा। 4. विक्रय अधिकृत ऑनलाईन ई-निलामी सेवा प्रदाता के द्वारा **दिनांक 28/04/2026 वेबसाइट** https://baanknet.com पर किया जायेगा। इच्छुक बोली लगाने वाले / खरीददारों को नीलामी के उचित समय से पहले बैंक से मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता PSB Alliance के संबंधित ई-नीलामी वेब पोर्टल https://baanknet.com में रजिस्ट्रेशन कर अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाईन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को ट्रांसफर करना होगा। यदि ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ईएमडी राशि उपलब्ध नहीं है, तो सिस्टम बोली लगाने की अनुमति नहीं देगा। बिक्री के विस्तृत नियम व शर्तो के लिए https://baanknet.com और www.pnb.bank.in पर देखें।

दिनांक: 19/03/2026, स्थान: भोपाल

सुरक्षित ऋणदाता, पंजाब नैशनल बैंक